सहारा शिखर - जीवन बीमा

UIN-127L021V01

(एक यूनिट-लिंक्ड योजना)

इस पालिसी में निवेश पक्ष के अंतर्गत निवेश जोखिम बीमाधारक द्वारा वहन किया जाता है।

(विश्व के विशालतम् परिवार में स्वागत है)

सहारा इण्डिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूंजी से शुरूआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल साम्राज्य फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यवसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाऐं इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, सूचना प्राधौगिकी, अस्पताल, कन्ज़्यूमर प्रोडक्ट्स, निमार्ण एवं सर्विसेज़ व ट्रेडिंग आदि में कार्यरत हैं।

कंपनी-

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा ''सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निजी क्षेत्र में प्रथम पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के सभी वर्ग विशेषतः ग्रामीण, शोषित एवं आर्थिक रूप से कमजोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना-

देश में आर्थिक बाजार इस समय अत्यन्त उत्साहित स्थिति में है तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था में आगामी कुछ वर्षों में तीव्र गति से वृद्धि होने की सम्भावना है। हम चाहते हैं कि बीमार्थी इस उत्साहित स्थिति के अंग बने तथा पूँजी बाजार से वे प्रत्येक्ष रूप से लाभान्वित हों।

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना इक्वटी (शेयर मार्केट) से सम्बद्धित होने के कारण अद्वितीय एवं व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने वाली है। इस योजना को समस्त उद्देश्य ध्यान में रख कर बनाया गया है। जिससे बीमार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित हों। यूनिट सम्बद्धित योजना भविष्य में बचत के मूल्य में वृद्धि करती है, ग्राहकों को निवेश योजना में कोष विकल्प जोखिम वृत्ति-नुसार तथा निवेश के भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर पॉलिसी अवधि अन्तराल में चयन का अवसर प्रदान करती है।

योजना-विवरण-

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	10 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
प्रवेश के समय अधिकतम आयु	55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
पॉलिसी अवधि	10 वर्ष अथवा 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	पालिसी अवधि अनुसार (एकल प्रीमियम योजना छोड़कर)
अधिकतम पूर्णावधि आयु	70 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)

	एकल प्रीमियम	नियमित प्रीमियम
न्यूनतम प्रीमियम	रू. 45,000/-	रू0 15,000 वार्षिक विधि के अंतर्गत रू0 10,000 अर्धवार्षिक विधि के अंतर्गत एक बार प्रीमियम भुगतान का चयन करने के बाद वह सम्पूर्ण प्रीमियम भुगतान अवधि तक अपरिवर्तनीय रहेगा। टॉप अप उपलब्ध नहीं है।
अधिकतम प्रीमियम	असीमित बीमांकननुसार	असीमित बीमांकननुसार
बीमाधन	प्रवेश के समय आयु बीमाधन (निकटतम जन्मतिथि) 45 वर्ष तक - एकल प्रीमियम का 125% 46 वर्ष तथा अधिक - एकल प्रीमियम का 110%	बीमाधन - वार्षिकी प्रीमियम का 10 गुना

कोष विकल्प :

इस योजना में प्रत्येक कोष में सम्पत्ति आवंटन सीमा सहित निम्नलिखित कोष विकल्प उपलब्ध है।

कोष-निवेश विकल्प	अंश (इक्विटी)	ऋण (डैट)	रोकड (कैश)	जोखिम प्रवृत्ति
सुरक्षित कोष	नहीं	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	कम
संतुलित कोष	अधिकतम 40%	न्यूनतम 40%	अधिकतम 20%	मध्यम
स्मार्ट कोष	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 20%	अधिकतम 40%	अधिक
विकास कोष	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	अधिकतम 20%	अधिक
प्राइमा कोष	न्यूनतम 85%	अधिकतम 15%	अधिकतम 15%	अधिक

विकल्प चुनने का निम्न आधार है :

एकल प्रीमियम प्रारम्भ में कोई भी पाँचों कोषों में से एक कोष

नियमित प्रीमियम प्रारंभ प्रीमियम - 5 कोष में से कोई भी एक कोष का चयन

परिवर्ती प्रीमियम - यूनिटों का आवंटन उस समय के विद्यमान कोष में होगा

किसी भी समय बीमाधारक के पास एक कोष रह सकता है।

निवेश उद्देश्य-

सुरक्षित कोष- इस कोष का उद्देश्य उच्च गुणात्मक निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर आय में वृद्धि करना है।

संतुलित कोष- इस कोष का उद्देश्य अवसरों का लाभ उठाकर ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभ वापसी में सामंजस्य रखकर निवेश करना तथा लम्बी अवधि में अधिक जोखिम समायोजित वापसी करना है।

स्मार्ट कोष- इस कोष का उद्देश्य सुअवसरों का लाभ उठाकर. ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभ वापसी में संतृलन बनाकर निवेश करना तथा लम्बी अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित वापसी करना है।

विकास कोष- इस कोष का प्राथमिक निवेश उद्देश्य शेयर एवं शेयर सम्बनधी प्रतिभूतियों में शोध-आधार पर निवेश कर लम्बी अवधि की वृद्धि प्राप्त करना।

प्राइमा कोष- मौलिक रूप से सुदृढ़ ब्लू चिप तथा उच्च कैप कंपनियों में कुशलपूर्वक विधि इक्वटी पक्ष में निवेश कर लम्बी अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित प्राप्त करना है। इसके साथ-साथ पूँजी बाजार के अचानक उतार चढ़ाव को ध्यान में रख कर पूँजी बाजार में अल्प अवधि में निवेश करना है।

विभिन्न कोष में निवेश के लिये प्रयोग आने वाले दस्तावेजः-

इक्विटी- भारतीय शेयर बाजार में शेयर तथा इक्विटी संबंधित दस्तावेजों में उन कंपनियों में निवेश जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा जिन कंपनियों में निवेश करना है उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण तथा भली-भांति शोध एवं विशलेषण कर निवेश किया जायेगा।

ऋण- ऋण दस्तावेजों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण, ऑयल बाण्ड, पी.एस.यू. (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) बाण्ड तथा कारपोरेट बाण्ड सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त जमा का प्रमाण पत्र, व्यापारिक प्रपत्र तथा अपरिवर्तित ऋण पत्र (डिवेंचर) जो अधिक गुणात्मक दर पर हो तथा निवेश दस्तावेज की अवधि आवश्यकतानुसार तय की जा सकती है।

कैश (रोकड)- इरडा के निवेश नियमों में जो पूँजी बाजार के दस्तावेज प्रपत्र दर्शाये गये हैं उन्हीं में कैश (रोकड़) अवयव निवेश किया जायेगा।

लाभदायक उद्देश्य के लिये निवेश का स्थाई मापदण्ड (बेन्चमार्क)

- CRISIL, ST BOND INDEX – Debt.
- S&PCNX NIFTY - Equity

विकल्प में परिवर्तन :- बीमाधारक को एक कोष निवेश विकल्प से दूसरा विकल्प अपनी इच्छानुसार चयन करने की पालिसी अवधि में सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक पालिसी वर्ष में 2 परिवर्तन निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। अतिरिक्त कोष-निवेश परिवर्तन - रू0 100/- प्रति परिवर्तन शुल्क पर उपलब्ध है। परिवर्तन शुल्क यूनिटों के निरस्तीकरण द्वारा वसूल किया जायेगा।

पालिसी के अंतर्गत लाभः-

- **पूर्णावधि पर -** पूर्णावधि तिथि तक यदि बीमार्थी जीवित है - कोष मूल्य
- **मृत्यु पर -** यदि समस्त प्रीमियम भुगतान कर दिये गये है तथा पॉलिसी चालू अवस्था में है।

बीमार्थी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की तिथि पर मृत्यु लाभ देय है। अधिकतम मृत्यु लाभ (बीमाधन से आंशिक आहरण, जो मृत्यु तिथि पूर्व दो वर्ष के अंतर्गत, यदि कोई है, घटाकर तथा मृत्यु सूचना प्राप्त होने की तिथि पर जो कोष मूल्य) जो अधिक है। बशर्तें कुल भुगतान की गई प्रीमियम का कम से कम 105 प्रतिशत से आंशिक आहरण, यदि कोई है, बीमार्थी की मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व, घटा कर, होना आवश्यक है।

- **अभ्यर्पणमूल्य -** पॉलसी कभी भी पालसी अवधि में अभ्यर्पित की जा सकती है लेकिन अभ्यपर्ण मूल्य पॉलसी की प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष पश्चात् ही देय है।

एकल प्रीमियम के अंतर्गत :-

यदि पालसी का अभ्यपर्ण पॉलसी प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के अंतर्गत होता है। तो कोष को अभ्यपर्ण तिथि पर पृथक-कृत कोष में हस्तातंरित कर दिया जायेगा तथा 3.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पालसी के 5 वर्ष तक अर्जित करेगी। संग्रहित किया हुआ कोष बीमाधारक को पाँचवे पालसी वर्ष के अंत में देय है।

प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के पश्चात् - अभ्यपर्ण तिथि पर कोष मूल्य

नियमित प्रीमियम के अंतर्गत

यदि पॉलसी प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के अंतर्गत अभ्यर्पित की जाती है तो अभ्यपर्ण मूल्य ही कोष मूल्य है, जिस दिन पॉलसी अभ्यर्पित की गई है उसमें से पृथक-कृत शुल्क, जैसा कि निम्नवत तालिका में है, घटाकर पृथक-कृत कोष में हस्तांतरण कर 3.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित कर अभ्यपर्ण मूल्य पॉचवें पॉलसी वर्ष के अंत मे देय है।

यदि पालसी, प्रारम्भ तिथि से, 5 वर्ष के पश्चात् अभ्यर्पित की जाती है तो अभ्यपर्ण तिथि पर कोष मूल्य ही अभ्यपर्ण मूल्य है।

जब पॉलसी का पॉलसी अंतराल वर्ष में बन्द होना।	वार्षिक विधि ₹ 25000 प्रीमियम तक पॉलसियों में पृथक कृत शुल्क	वार्षिक विधि ₹25000 से अधिक प्रीमियम पर पृथक कृत शुल्क
1	20% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 3000/-	6% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 6000/-
2	15% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 2000/-	4% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 5000/-
3	10% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 1500/-	3% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 4000/-
4	5% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 1000/-	2% से कम (वार्षिक प्रीमियम अथवा कोष मूल्य) बशर्तें अधिकतम ₹ 2000/-
5 वर्ष तथा आगे	नहीं	नहीं

- **आंशिक आहरण निम्नलिखित अहर्त्ताओं में मान्य है-**

1. आशिंक आहरण, प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष पश्चात् यदि बीमा धारक वयस्क हो चुका है एवं 18 वर्ष की पूर्ण आयु हो चुकी है बशर्ते समस्त देय प्रीमियम का भुगतान हो चुका हो, मान्य है।
2. अधिकतम आशिंक आहरण कोष मूल्य का 50 प्रतिशत देय है बशर्ते आशिंक आहरण के पश्चात् एक वार्षिकीय प्रीमियम होना चाहिए तथा एकल प्रीमियम में न्यूनतम रू0 50000/- अवशेष होना चाहिए।
3. न्यूनतम आंशिक आहरण रू. 2500/- है।
4. दो आंशिक आहरण के मध्य न्यूनतम 1 वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है।
5. आशिंक आहरण पर कोई शूल्क देय नहीं है।

- **ऋण-** ऋण योजना में उपलब्ध नहीं है।
- **प्रीमियम भुगतान विधि निम्नलिखित है-**

1. एकल, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक।
2. प्रीमियम से कम राशि जमा के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बीमार्थी, देय तिथि से पूर्व प्रीमियम भुगतान करता है वह 'जमा' में बिना लाभ रखने का प्राविधान है जब तक देय तिथि पर समायोजन नहीं हो जाता है भुगतान विधि में परिवर्तन मान्य है बशर्तें वार्षिकी प्रीमियम ₹20000 के तुल्य अथवा अधिक हो तथा मूल वार्षिकी प्रीमियम में कोई परिवर्तन न हो।

- **जब्त न होने की दशा में अनुग्रह अवधि-**

किश्त भुगतान हेतु वार्षिक, एवं अर्धवार्षिक भुगतान विधि में न्यूनतम 30 दिन की अनुग्रह अवधि किसी भी माह में मान्य है। यदि अनुग्रह अवधि में प्रीमियम का भुगतान नहीं हुआ है एवं बीमाधारक की मृत्यु इस अवधि में होने की दशा में पालिसी वैध होगी, बीमाधन तथा कोष मूल्य मृत्युदर शुल्क, जो दावेदार द्वारा भुगतान की जानी है, को वसूल कर, दावेदार को भुगतान किया जायेगा।

- **पृथक कृत (Discontinuance) पालसी की क्या तिथि है ?**

पालसी की पृथक तिथि वह है, जिस दिन कंपनी बीमाधारक से पालसी प्रथम कृत के लिये सूचना प्राप्त करती है अथवा सूचना अवधि के व्यतीत होने के पश्चात्, जो पूर्व घटित हो। इस प्रकार की सूचना अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद 15 दिन के अन्दर बीमाधारक को दी जाती है कि विकल्पानुसार वह (1) पालसी पुर्नचालित कर लें अथवा (2) पूर्ण रूप से बीमाधारक सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंतर्गत जोखिम वहन रहित विकल्प से अपने आपको पृथक कर लें।

- **प्रीमियम का भुगतान बंद होने की दशा में क्या होता है ?**

प्रथम 5 पालसी वर्ष के अतंर्गत प्रीमियम का पृथक कृत (Discontinuance) होना यदि अनुग्रह अवधि के अंतर्गत प्रीमियम जमा नहीं होता है तो कंपनी अनुगह अवधि की समाप्ति से 15 दिन के अंदर बीमाधारक को निम्न विकल्प चुनने के लिये सूचना देगी।

अ. पालसी पुनर्चालित करने के लिये अथवा

ब. पूर्ण रूप से बगैर जोखिम वहन पृथक करने के लिये

यदि बीमार्थी की मृत्यु सूचना अवधि, जो बीमाधारक द्वारा सूचना प्राप्ति के 30 दिन है, हो जाती है तो मृत्यु लाभ, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, देय है।

यदि बीमाधारक सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर विकल्प नहीं चुनता है तो यह मान लिया जायगा कि बीमाधारक ने अपने आपको पूर्ण रूप से बगैर जोखिम वहन विकल्प का चयन कर लिया है तथा पालसी कोष उस दिन से पालसी के कोष मूल्य से पृथक कृत शुल्क, यदि कोई है, घटा कर ''पृथक कृत पॉलसी कोष'' में पृथक कृत तिथि का हस्तांतरित कर दी जायेगी तथा 3.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि (वार्षिकी) दर से संग्रहित होती रहेगी। पृथक कृत पालसी की यह संग्रहित रकम पालसी के पाँचवे वर्ष के अंत मे देय है।

यदि बीमार्थी की मृत्यु पॉलसी की पृथक कृत तिथि के पश्चात् होती है तो मृत्यु लाभ की रकम (कोष मूल्य से पृथक कृत शुल्क घटाकर, यदि कोई है तथा 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर) पालिसी पृथक कोष होगी। मृत्यु लाभ जिस दिन बीमार्थी की मृत्यु सूचना प्राप्त होती है, देय है।

- **5 वर्ष पश्चात् पॉलसी का बंद होना** यदि अनुग्रह अवधि के अंतर्गत प्रीमियम जमा नहीं होता है तो कंपनी अनुगह अवधि की समाप्ति से 15 दिन के अंदर बीमाधारक को निम्न विकल्प चुनने के लिये सूचना देगी।

अ. पालसी पुनर्चालित करने के लिये अथवा

ब. पूर्ण रूप से बगैर जोखिम वहन पृथक करने के लिये

यदि बीमार्थी की मृत्यु सूचना अवधि, जो बीमाधारक द्वारा सूचना प्राप्ति के 30 दिन है, हो जाती है तो मृत्यु लाभ, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, देय है।

यदि बीमार्थी/पालसीधारक अनुग्रह दिवस अवधि में पालसी पुनर्चालन का विकल्प चयन नहीं करता है तो पालसी 'बंद हुई' मान ली जायगी तथा पृथक कृत, तिथि को कोष मूल्य भुगतान कर निरस्त कर दी जायगी।

- **पुनर्चलन-अवधि क्या है? तथा उस अवधि में क्या मृत्यु लाभ उपलब्ध है?**

यदि अनुग्रह अवधि के अंतर्गत प्रीमियम जमा नहीं होता है तो कंपनी अनुगह अवधि की समाप्ति से 15 दिन के अंदर बीमाधारक को निम्न विकल्प चुनने के लिये सूचना देगी।

अ. पालसी पुनर्चालित करने के लिये अथवा

ब. पूर्ण रूप से बगैर जोखिम वहन पृथक करने के लिये

यदि बीमाधारक सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर विकल्प का चयन नहीं करते है यदि मान लिया जायगा कि बीमाधारक पूर्ण रूप से पालसी बगैर जोखिम वहन विकल्प का चयन किया है तथा उस तिथि से पालसी बंद मान ली जायगी।

यदि बीमाधारक पूर्ण रूप से 'बगैर जोखिम वहन' पालसी से अपने आपको पृथक रखने का विकल्प चयन करता है अथवा उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प चयन नहीं करता है तो निम्न में से कोई एक, बंद पॉलसी की, प्राप्ति राशि होगी।

(अ) पालसी प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के अंतर्गत - पालसी के कोष मूल्य में से पृथक कृत शुल्क, यदि कोई है, घटाकर पृथक कृत पालसी कोष में पालसी की पृथक तिथि से हस्तांतरित कर दी जायगी। यह कोष 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि वार्षिक से संग्रह होता रहेगा। यह संग्रहित रकम पालसी वर्ष के पाँचवें वर्ष के अंत में भुगतान कर दी जायगी।

(ब) पॉलसी प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर - कोष मूल्य बीमाधारक को देय है।

यदि ''अनुग्रह दिवस अवधि'' में देय प्रीमियम भुगतान नहीं किये जाते है, मृत्युदर जोखिम वहन, प्रशासन, कोष प्रबंधन शुल्क तथा अन्य कर पॉलसी में से घटा दिये जायेगे तथा कोष के निष्पादन में सहभागी पृथक कृत तिथि तक रहेगी। इस प्रकार की पॉलसी सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर पुर्नचालित नहीं की जाती है तो पॉलसी बंद हो जायेगी। इस अवस्था में पॉलसी पुनर्चालित नहीं की जा सकती है तदोपरांत उपरोक्त वर्णित पृथक कृत लाभ पॉलसी के 5 वर्ष पूर्ण होने पर देय है। यद्यपि कंपनी के पास यह अधिकार , कि वह पालसी पुनर्चालित करें अथवा न करे, सुरक्षित है पालसी का पुनर्चलन, अनुमोदन के पश्चात् विशेष रूप से पालसी धारक को सूचित कर दिया है, तभी प्रभावी होगा।

- **शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (एन.ए.वी.) गणना करने की विधि :-**

यूनिट मूल्य की गणना मूल्यांकन के समय (कार्य दिवस के अंतिम समय में) कोष की सम्पत्ति के मूल्य जो कोष में वर्तमान यूनिट की संख्या होगी, से भाग देकर करेंगे। नव व्यवसाय के लिए यूनिटों का आवंटन यूनिट के मूल्य आधार, जिस दिन नकद रकम/स्थानीय चैक/धनादेश /प्रत्यक्ष डेबिट की स्थिति में, श्रेय की तिथि एवं बाहरी चैक के समाशोधन की तिथि या उगाही का बैंक को श्रेय मिलने के उपरांत, ही किया जायेगा। परवर्ती प्रीमियम के भुगतान के लिए नकद रकम/स्थानीय चैक/धनादेश /प्रत्यक्ष डेबिट यदि कंपनी के कार्यालय में अपरान्ह 3.00 तक प्राप्त होने के उपरान्त जो दिन के समापन पर एन.ए.वी. (शुद्व सम्पत्ति मूल्य) होगी, प्राप्त प्रीमियम पर लागू होगी। यदि किसी कारण वश स्थानीय अथवा बाहरी चैक/धनादेश /प्रत्यक्ष डेबिट कंपनी कार्यालय में सायं 3.00 के बाद प्राप्त होता है। तो आगामी कार्य दिवस के समापन के समय शु0 स0 मूल्य (एन.ए.वी.) जो होगा उसी आधार पर यूनिटों का आवंटन होगा। बाहरी चैक/धनादेश के लिए उनके समाशोधन की दिनांक को एन.ए.वी. लागू होगी

शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (नैव) प्रत्येक कोष की (दैनिक आधार पर) दिवस के अतिंम समय में गणना की जायेगी कंपनी सम्पत्ति का क्रय/विक्रय अपने प्रति दिन के यूनिट आवंटन तथा यूनिट रिडेम्पशन (पुनः क्रय कार्य) के बावजूद एन0 ए0 वी0 की गणना स्वायत्ती करण अथवा सम्पत्ति हरण आधार पर करेगी। परिणाम स्वरूप मूल्य को रू. 0.0001 तक नजदीक किया जायेगा शु0स0मू0 (स्वायत्ती-करण/सम्पत्ति- हरण आधार) की गणना निम्न प्रकार की जायेगी।

मूल्य शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (स्वायत्ती करण-मूल्य) = कोष-निवेश का बाजार/उचित मूल्य (+) सम्पत्ति क्रय करने में हुए व्यय (+) वर्तमान सम्पत्ति, यदि कोई है, का मूल्य (+) कोष प्रबन्धकीय व्यय में कोई प्राप्त आय (-) वर्तमान दायित्व, यदि कोई है, (प्राविधान को घटाकर) का

मूल्यांकन तिथि को (नई यूनिट आवंटन करने से पूर्व) विद्यमान यूनिटों की संख्या

शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (सम्पत्ति-हरण मूल्य) = बाजार/कोष-निवेश का उचित मूल्य (-) सम्पत्ति विक्रय करने में हुए व्यय (+) वर्तमान सम्पत्ति, यदि कोई है, का मूल्य (+) कोष प्रबन्धकीय व्यय शुल्क में प्राप्त आय (-) वर्तमान दायित्व, यदि कोई (प्राविधान को घटाकर) का मूल्य

मूल्यांकन तिथि (यूनिट पुनः क्रय से पूर्व) को विद्यमान यूनिट की संख्या।

यूनिट कोष का आवंटन-

निम्न दर्शायी दरों के अनुसार आवंटित रकम पालिसी-कोष में निवेश की जायेगी।

एकल प्रीमियम - 94.5%

नियमित प्रीमियम-

वर्ष	प्रीमियम का प्रतिशत
प्रथम वर्ष	92.5%
द्वितीय वर्ष एवं आगामी वर्ष	95%

योजना के अंतर्गत शुल्क-

1. **प्रीमियम आवंटन शुल्क-**

प्रीमियम के अंतर्गत आवंटन शुल्क निम्नवत है :-

एकल प्रीमियम के अंतर्गत - 5.5 प्रतिशत

नियमित प्रीमियम के अंतर्गत -

वर्ष	प्रीमियम का प्रतिशत
प्रथम वर्ष	7.5%
द्वितीय एवं आगामी वर्ष	5%

2. **प्रशासन शुल्क -** रू. 30/- मासिक प्रशासन शुल्क माह के प्रारम्भ में तथा 5% वार्षिक प्रत्येक पॉलिसी वर्षगाठ पर वृद्धि कर यूनिट के मूल्यानुसार उचित यूनिट की संख्या के निरस्तीकरण द्वारा कर लिया जायेगा। कंपनी के अनुभव अनुसार तथा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) के अनुमोदन पश्चात् कंपनी अपनी इच्छानुसार, प्रशासन शुल्क में वृद्धि अधिकतम रू. 100 तक प्रतिमाह कर सकती है।

3. **कोष प्रबंध शुल्क-** निम्न प्रारूपानुसार दैनिक आधार पर बीमाधारक के यूनिट एकाउंट से कोष प्रबंध शुल्क लिया जायेगा। इस प्रकार कोष के यूनिटों का मूल्य, की गणना, कोष प्रबंध कोष शुल्क को ध्यान में रखते हुए, की जायेगी।

कोष	सुरक्षित (सिक्योर्ड)	संतुलित (बैलेंस)	स्मार्ट	विकास (ग्रोथ)	प्राइमा
कोष प्रबंध शुल्क	कोष मूल्य का न्यूनतम 0.65 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 0.90 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 0.75 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1.25 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1.25 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1.25 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।

4. मृत्युदर (जोखिम वहन) शुल्क-

जोखिम वहन प्रीमियम यानि मृत्यु दर शुल्क प्रत्येक माह के प्रारम्भ में मासिक आधार पर तथा जोखिम की रकम के अनुसार जहाँ जोखिम रकम - बीमाधन अथवा कुल भुगतान की गई प्रीमियम का 105 प्रतिशत जो भी अधिक

में से पिछले 2 वर्ष के आंशिक आहरण, यदि कोई है तथा कोष मूल्य को घटाकर, होगी, जो कि समुचित यूनिटों को निरस्त कर वसूली की जायेगी।
वार्षिक जोखिम शुल्क प्रति हजार जोखिम रकम निम्न दर्शाया गया है।

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
10	0.46	31	1.41	52	7.73
11	0.54	32	1.44	53	8.54
12	0.64	33	1.50	54	9.41
13	0.78	34	1.57	55	10.33
14	0.86	35	1.66	56	11.32
15	0.92	36	1.78	57	12.35
16	0.99	37	1.91	58	13.23
17	1.05	38	2.07	59	14.34
18	1.10	39	2.24	60	15.69
19	1.15	40	2.46	61	17.27
20	1.20	41	2.70	62	19.09
21	1.24	42	2.90	63	21.13
22	1.28	43	3.12	64	23.42
23	1.31	44	3.40	65	25.94
24	1.34	45	3.73	66	27.27
25	1.36	46	4.13	67	30.74
26	1.38	47	4.58	68	34.59
27	1.39	48	5.09	69	38.85
28	1.40	49	5.66	70	43.55
29	1.40	50	6.29		
30	1.40	51	6.98		

विकल्प में परिवर्तन शुल्क - बीमाधारक को एक कोष निवेश विकल्प से दूसरा विकल्प अपनी इच्छानुसार चयन करने की पालिसी अवधि में सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक पालिसी वर्ष में 2 परिवर्तन निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। अतिरिक्त कोष-निवेश परिवर्तन - रू0 100/- प्रति परिवर्तन शुल्क पर उपलब्ध है। परिवर्तन शुल्क यूनिटों के निरस्तीकरण द्वारा वसूल किया जायेगा।

बीमाधारक के अवयस्क होने पर लाभ देय

- यदि बीमाधारक के वयस्क होने से पूर्व दावा होता है तो भुगतान पालिसी के प्रस्तावक को देय है एवं उसकी अनुपस्थिति में जो प्रस्तावक के उत्तराधिकारी है, उन्हें प्राप्त होगा।
- बीमाधारक के वयस्क अथवा 18 वर्ष पूर्ण होने पर पालिसी स्वयं उसमें निहित होगी।

अतिरिक्त लाभ- राइडर

दुर्घटना लाभ और सम्पूर्ण स्थायी अपंगता लाभ राइडर (यू.आई.एन. 127ए004बी01)

जो बीमित व्यक्ति वयस्क है, 18 वर्ष (पूर्ण कर चुका है) एवं 55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) के मध्य आयु का है, उसे पालिसी प्रारम्भ तिथि/पालिसी वर्षगांठ से राइडर उपलब्ध है। दुर्घटना हित राइडर के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा धन रू. 50,000/- उपलब्ध है और अधिकतम बीमा धन या तो मूल बीमा धन अथवा रू. 20,00,000/- (जिसमें कंपनी से क्रय की गयी सभी पिछली पालिसिया सम्मिलित रहेंगी), जो दोनों में धनराशि कम होगी, उपलब्ध होगा। यह लाभ बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) आयु प्राप्त करने अथवा मूल पालिसी की पूर्णावधि, जो पहले घटित हो, तभी तक उपलब्ध है।

राइडर एकल प्रीमियम भुगतान विधि में उपलब्ध नहीं है।

पुर्नचलन नियम - जो मूल पालिसी में लागू हैं वही इस राइडर में लागू होंगे।
राइडर के लिए रू. 0.85/- प्रति हजार बीमाधन प्रीमियम देय है।

यदि बीमाधारक की आयु पालिसी वर्षगांठ से पूर्व, जिसमें बीमित व्यक्ति 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) पूर्ण कर रहा है एवं पालिसी चालू हालत में है- उसकी दुर्घटना में शारीरिक चोट, जो प्रत्यक्ष एवं पूर्ण रूप से वाह्य, तेज धारदार एवं दृष्टिगोचर साधन (शस्त्र) से लगने के कारण, मृत्यु दुर्घटना तिथि से 180 दिनों में हुई है एवं दुर्घटना में मृत्यु का कारण स्वतंत्र एवं प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक चोट है तो दुर्घटना राइडर के तुल्य एक अतिरिक्त धनराशि, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है, का भुगतान देय है। यदि बीमार्थी स्थायी एवं पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो राइडर बीमित धन का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्ष तक एवं शेष राइडर का 50 प्रतिशत 5 वर्ष के अंत में देय है। स्थायी अपंगता दावा निस्तारण एवं भुगतान होने पर राइडर प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाता है एवं मूल पालिसी चालू रखने के लिये प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार करना होगा।

सम्पूर्ण एवं स्थायी अपंगता, जैसा ऊपर वर्णित है, दुर्घटना से घटित हो एवं इस प्रकार की हो कि बीमित व्यक्ति स्थाई रूप से अपंग हो जाय तथा दुर्घटना दिनांक से कोई आय, किसी कार्य, व्यवसाय अथवा पेशे (शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अनुभव को छोड़कर) से अर्जित न कर सके। अपंगता निम्नलिखित परिभाषित है-

अ) अपने दोनों हाथ कलाई अथवा इससे ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा
ब) दोनों पैर एडी अथवा इससे ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा
स) एक हाथ कलाई या इसके ऊपर एवं एक पैर एडी से ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा
द) दोनों आँखों की सम्पूर्ण, स्थायी एवं असाध्य दृष्टि की क्षति।

अपवाद : कंपनी उपरोक्त (अ) (ब) (स) (द) में संदर्भित अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार नहीं होगी, यदि बीमित व्यक्ति की अपंगता अथवा मृत्यु-

1) जान-बूझकर अपने को चोट पहुँचाने, आत्म-हत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण, मादक द्रव्य पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तु के सेवन करने से हो, अथवा

2) ऐसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो, जबकि बीमित व्यक्ति उड्डयन अथवा वैज्ञानिकी में किसी भी पद पर कार्यरत हो, न कि, जब कि वह किराया देकर ऐसे यात्रियों को ले जाने के लिये, सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा अधिकृत स्थापित हवाई अड्डों के बीच उड़ान भरने वाले किसी हवाई जहाज में यात्रा करता हो तथा हवाई जहाज के उड़ने व उससे उतरते समय बीमित व्यक्ति की कोई ड्यूटी (कार्यभार) न हो, अथवा ,

3) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून भंग करने के फलस्वरूप हो, अथवा,

4) जोखिमी खेल-क्रीड़ा, आखेट, जूडो-कराटे, पर्वतारोहण, जैट-स्काईंग, पॉट-होलिंग, घुड-दौड़, गोताखोरी, नाव-दौड़, लंबी छलांग, बाक्सिंग, कैविंग अथवा किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ के फलस्वरूप चोट लगने के कारण हो, अथवा

5) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), आक्रमण अथवा

6) अन्य अर्न्तसंदर्भित शर्त (नियम)

आयकर लाभ

- पालिसी में भुगतान की गई प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अन्तर्गत आयकर मुक्त है।
- पालिसी में पूर्णावधि अथवा मृत्यु दावा प्राप्ति क्रमशः बीमाधारक अथवा उसके आश्रितों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-10 (10डी) के अन्तर्गत आयकर मुक्त है। यदि किसी भी पालिसी वर्ष में प्रीमियम एवं टॉप-अप की धनराशि बीमाधन की राशि 20% से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में पालिसी में धारा-10(10डी) का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- भविष्य में यह लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के नियम, जो लागू होंगे, तदानुसार प्रभावी होगी।

लाभ-उदाहरण-

नियमित प्रीमियम भुगतान विधि में आयु 35 वर्ष अवधि 15 वर्ष, प्रीमियम 16000 वार्षिक तथा बीमाधन रू0 16,00,00 लाभ निम्नवत हैं :-

					सकल ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक आधार पर							सकल ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर						
पॉलसी वर्ष	वार्षिक प्रीमियम	प्रीमियम आंवटन शुल्क	उपलब्ध रकम निवेश हेतु (प्रीमियम)	पॉलसी प्रबंध शुल्क	कोष प्रबंधन शुल्क	अन्य शुल्क	शुल्क-योग	कोष के अतिरिक्त (यदि कोई है)	वर्ष की समाप्ति पर कोष	अभ्यर्पण मूल्य	मृत्यु लाभ	कोष प्रबंधन शुल्क	अन्य शुल्क	शुल्क-योग	कोष के अतिरिक्त (यदि कोई है)	वर्ष के अंत में कोष	अभ्यर्पण मूल्य	मृत्यु लाभ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	16000	1200	14800	360.00	149	281.86	1990.38	0.00	14872.97	0.00	160000.00	152	281.70	1993.29	0.00	15445.80	0.00	160000.00
2	16000	800	15200	378.00	305	285.66	1769.00	0.00	30878.84	0.00	160000.00	318	284.71	1780.34	0.00	32680.77	0.00	160000.00
3	16000	800	15200	396.90	470	287.14	1953.74	0.00	47655.32	0.00	160000.00	498	284.41	1979.56	0.00	51431.17	0.00	160000.00
4	16000	800	15200	416.75	642	285.02	2143.74	0.00	65243.25	0.00	160000.00	695	278.98	2190.49	0.00	71836.34	0.00	160000.00
5	16000	800	15200	437.58	823	277.57	2337.78	0.00	83687.21	83687.21	160000.00	909	265.99	2412.26	0.00	94050.50	94050.50	160000.00
6	16000	800	15200	459.46	1012	265.30	2536.85	0.00	103033.38	103033.38	160000.00	1142	244.57	2645.65	0.00	118242.51	118242.51	160000.00
7	16000	800	15200	482.43	1211	242.17	2735.48	0.00	123336.44	123336.44	160000.00	1395	207.85	2885.64	0.00	144603.34	144603.34	160000.00
8	16000	800	15200	506.56	1420	206.15	2932.26	0.00	144655.73	144655.73	160000.00	1672	172.27	3150.69	0.00	173324.12	173324.12	173324.12
9	16000	800	15200	531.88	1639	168.84	3139.43	0.00	167041.72	167041.72	167041.72	1973	203.19	3507.78	0.00	204543.79	204543.79	204543.79
10	16000	800	15200	558.48	1868	192.45	3419.38	0.00	190483.22	190483.22	190483.22	2300	236.87	3895.09	0.00	238480.72	238480.72	238480.72
11	16000	800	15200	586.40	2109	217.23	3712.67	0.00	215029.87	215029.87	215029.87	2655	273.49	4315.12	0.00	275372.42	275372.42	275372.42
12	16000	800	15200	615.72	2361	243.18	4019.61	0.00	240733.69	240733.69	240733.69	3042	313.29	4770.70	0.00	315477.24	315477.24	315477.24
13	16000	800	15200	646.51	2625	270.35	4341.61	0.00	267649.14	267649.14	267649.14	3462	356.57	5264.88	0.00	359076.19	359076.19	359076.19
14	16000	800	15200	678.83	2901	298.80	4678.62	0.00	295833.26	295833.26	295833.26	3919	403.61	5800.97	0.00	406474.86	406474.86	406474.86
15	16000	800	15200	712.78	3190	328.59	5031.60	0.00	325345.75	325345.75	325345.75	4415	454.75	6382.59	0.00	458005.67	458005.67	458005.67

* उपरोक्त कोष मूल्य केवल सांकेतिक है। वास्तव में कोष मूल्य बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

** मृत्यु पर बीमाधन तथा कोष मूल्य देय है।

*** अभ्यर्पण लाभ कोष की वास्तविक स्थिति के अनुसार देय होगा और वह गारंटीड नहीं है।

वैधानिक चेतावनी :

कुछ लाभ गारण्टीड हैं एवं कुछ लाभ वापसी कंपनी के भविष्य के कार्य सम्पादन पर निर्भर करते हैं। यदि आपकी पॉलिसी गारण्टीड लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से गारण्टीड दर्शाया जायेगा। यदि आपकी पालिसी बिना गारंटी के लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में कंपनी के अनुमानित भविष्य निवेश पर दो भिन्न ब्याजदर पर गणना करके दिखायेगी। बीमाधारक को प्राप्त होने वाला यह अनुमानित लाभ वापसी गारण्टीड नहीं है। पालिसी में लाभ वापसी अनेक कारणों पर निर्भर करती है। यह बीमा करने वाले (Insurer) की निपुणता एवं दक्षता पर निर्भर करता है कि वे कोष को किस प्रकार निवेश करते हैं जिससे अधिकतम लाभ हो। अतः लाभ वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

अपवाद

आत्म-हत्या उपबन्ध :

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु इस पालिसी की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है (चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में या तत्समय अस्वस्थ अवस्था में) तो यह पालिसी रद्द हो जायेगी (पालिसी का अभ्यर्पण मूल्य छोड़कर) और कंपनी इस पालिसी के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी, किन्तु इस पालिसी में बीमित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के यर्थाथ आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे जो उसने किसी मूल्यवान प्रतिदान के द्वारा प्राप्त कर लिये थे और जिसकी लिखित सूचना बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के कम से कम एक माह पूर्व उस कार्यालय को प्रेषित कर दी गई हो, जिसमें इस पालिसी के अंतर्गत अन्तिम प्रीमियम चुकाई गई थी।

वैधानिक-चेतावनी

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की **धारा 41** में जो विवरण है उसका उद्धरण बीमा उत्पाद के प्रत्येक प्रस्ताव में होना आवश्यक है- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को नई पालिसी लेने, नवीनीकरण करने अथवा चलाने, जिसमें किसी भी प्रकार भारत में जीवन अथवा सम्पत्ति के जोखिम का सम्बन्ध है, कोई प्रलोभन, पालिसी की प्रीमियम में छूट अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रदान नहीं करेगा एवं न ही कोई व्यक्ति इस छूट, प्रलोभन को स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट जो बीमा कर्ता के प्रकाशित विवरण पुस्तिका एवं तालिका में वर्णित है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपधारा (1) का उलंघन करता है, वह आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा एवं आर्थिक दण्ड रू0 500 तक हो सकता है।

इन्श्योरेन्स एक्ट, 1938 की धारा 45 का संक्षिप्त विवरण:

कोई भी जीवन बीमा पालिसी उसकी आरम्भ की तिथि से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा उस समय तक इस आधार पर निरस्त नहीं की जायेगी कि बीमा के लिये दिये प्रस्ताव-पत्र में दिया गया विवरण या किसी डाक्टरी जाँच की रिपोर्ट में या किसी संदर्भी या पालिसीधारक के मित्र द्वारा पालिसी जारी करने हेतु दिये किसी प्रलेख में कुछ भी गलत या झूठ कहा गया है, जब तक बीमाकर्ता यह न सिद्ध कर दे कि विवरण एक महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित था या उसने तथ्यों को छुपाया जिसे बताना आवश्यक था और उस समय बीमाधारक को यह पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

फ्री लुक अवधि-

बीमार्थी को यह विकल्प प्राप्त है कि पालिसी बाण्ड के प्राप्त तिथि से 15 दिन के अन्दर यदि वह पालिसी की शर्तों तथा अहर्ताओं में कोई परिवर्तन अवलोकन करता है अथवा गलत पाता है तो अस्वीकार/असहमति के कारणों का वर्णन करते हुए पालिसी बाण्ड वापस कर सकता है। इस स्थिति में बीमार्थी अनावंटित प्रीमियम राशि तथा कोष मूल्य में से, निरस्तीकरण तिथि पर, अनुपातिक जोखिम वहन प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में जो व्यय हुए हैं, उनको घटाकर, प्रीमियम वापस पाने का अधिकारी है।

जोखिम घटक एवं चेतावनी :

1. यूनिट-लिंक्ड जीवन बीमा उत्पाद पारम्परिक जीवन बीमा उत्पाद से भिन्न है तथा जोखिम से संबन्धित है।
2. यूनिट-लिंक्ड जीवन बीमा पालिसियों में भुगतान की गई प्रीमियम पूंजी बाजार के निवेश में जोखिमों के अर्न्तनिहित है तथा यूनिटों का शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (Net asset value) कोष सम्पादन तथा अन्य कारणों से जो पूंजी बाजार को प्रभावित करते हैं, के आधार पर ऊपर नीचे हो सकता है एवं उसका दायित्व बीमार्थी के निर्णय पर होगा।
3. सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी लि. बीमा कंपनी एक नाममात्र है तथा सहारा शिखर-जीवन बीमा संविदा एक नाममात्र है एवं किसी भी प्रकार से संविदा के गुण तथा भविष्य की संभावना अथवा लाभ वापसी का संकेत नहीं है।
4. कृपया बीमा अभिकर्त्ता/अन्य माध्यम/बीमाकर्त्ता के पॉलिसी प्रपत्र द्वारा संवद्धित जोखिम तथा लागू शुल्क के बारे में पूर्ण जानकारी कर लें।
5. संविदा में प्रस्तुत भिन्न कोष के नाम है वे योजना का गुणवत्ता/भविष्य सम्पादन/लाभ वापसी का सूचक नहीं है।

सम्पर्क पते एवं दूरभाष संख्या-
हमारा निःशुल्क टाल नं.-1800-180-9000 (भा.सं.नि.लि./म.टे.नि.लि.)
लोकल कारपोरट कार्यालय के नाम तथा उनके दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैं-

आगरा - 9411876485, अहमदाबाद - 9998020310, अजमेर - 9829018573, इलाहाबाद - 9839750651, बलिया - 9936571895, बैंगलूरु - 9845234738, बस्ती - 9670444427, बरेली - 9412485488, बडौदा - 9998020301, बोकारो - 9386896841, भोपाल - 9302115594, भागलपुर - 9386741020 भुवनेश्वर - 9861048534, चंडीगढ - 9216322898, चेन्नई - 9940098809, देहरादून - 9368228050, दिल्ली - 9711311363, दरभंगा - 9386835733, देवरिया - 9415213748, फैजाबाद - 9935169130, फरीदाबाद - 9899805972, गोरखपुर - 9336410556, गुवाहाटी - 9435549347, हज़ारीबाग - 9431102765, हावड़ा - 9903116913, हैदराबाद - 9885279596, इंदौर - 9302780283, जबलपुर - 9303327343, जयपुर - 9414079454, जमशेदपुर - 9431133892, जोधपुर - 9829687827, कानपुर - 9415075151, कोलकाता - 9831692615, कोटा - 9460981763, लखनऊ - 9335226465, लुधियाना - 9988373652, मुम्बई - 9324702769, मुजफ्फरपुर - 9431238376, नालन्दा - 9431023510, पटना - 9334112902, रायपुर - 9893650799, राँची - 9955328893, सिलीगुड़ी - 9233472893, सिवान - 9334417334, समस्तीपुर - 9430586304, सुल्तानपुर - 9839666777, उदयपुर - 9828142452, वाराणसी - 9838128327, विशाखापट्टनम - 9848565786 ।

बीमा आग्रह की विषय-वस्तु है

नोट- किसी भी वैधानिक अथवा अन्य विवाद में अंग्रेजी पैम्फलेट की भाषा ही मान्य होगी।

Saharalife/03/2010-11/BRO/Hindi
10-10 Sahara Corp Comm

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : सहारा इंडिया सेंटर, 2, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, लखनऊ-226 024. फोन : 0522-2337777, फैक्स : 0522-2332683
वेबसाईट : www.saharalife.com

सहारा इण्डिया परिवार

SAHARA INDIA Life Insurance
Chiranjivi Bhava

सहारा शिखर
जीवन बीमा

UIN-127L021V01 (एक यूनिट लिंक्ड प्लान)

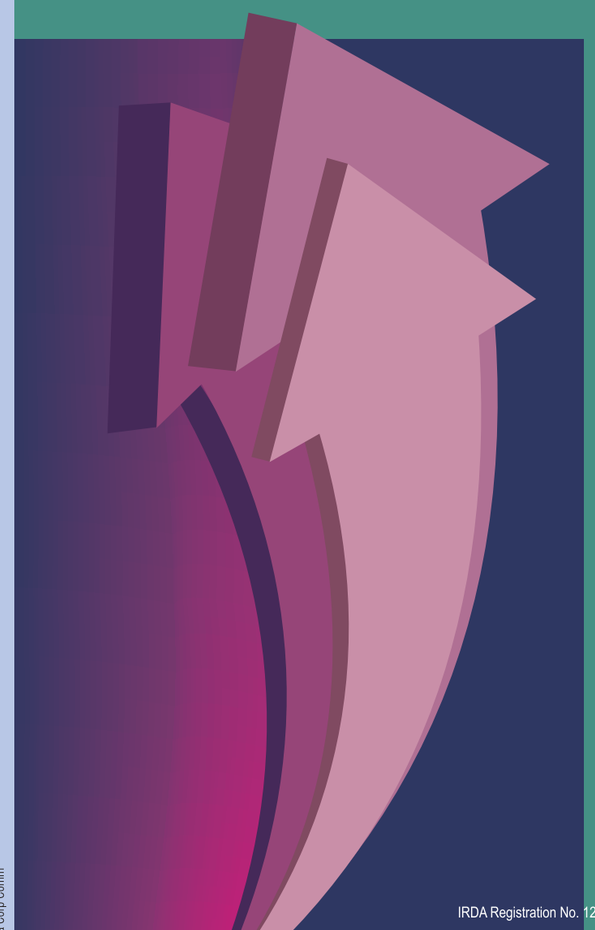

IRDA Registration No. 127

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड